अध्याय 19

निजीकरण, निम्नवर्गीय, सामाजिक स्तरीकरण व शिक्षा

[PRIVATISATION, PLEBIANISATION, STRATIFICATION AND EDUCATION]

निजीकरण का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। सन् 1960 में पीटर एफ. ड्रकर द्वारा सर्वप्रथम अपनी पुस्तक 'द एज ऑफ डिस्कन्टीन्यूटी' (*The Age of Discontinuity*) में निजीकरण शब्द का प्रयोग किये जाने का सन्दर्भ मिलता है। 1979 में ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती थैचर के समय में अनेक सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया गया। तत्पश्चात् यह प्रक्रिया पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड तथा ब्राजील आदि देशों में प्रारम्भ हुई। भारत में सन् 1991 में इसे अपनाया गया। निजीकरण के उपरान्त उद्योग, व्यापार तथा शिक्षा के क्षेत्र में इस विचार को शीघ्रता से व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाने लगा। अधिक कहने से पूर्व आवश्यक है कि निजीकरण का अर्थ स्पष्ट किया जाए।

निजीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएँ
(MEANING AND DEFINITIONS OF PRIVATISATION)

निजीकरण का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रतिबन्धित संस्थाओं को किसी निजी उद्यमी अथवा संस्था को संचालन या प्रबन्धन हेतु हस्तान्तरित कर दिया जाता है। **एन. के. घोडके** ने निजीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया है, ''सामान्यतः यह शब्द उस प्रक्रिया से सम्बन्धित है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को कम करती है।''

"In general the term refers to any process that reduces the investment of the state public sector in economic activities of a nation." **—N.K. Ghodke**

ए. एन. अग्रवाल के अनुसार, ''साधारण बोलचाल की भाषा में निजीकरण का अर्थ है उद्यमों का स्वामित्व सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र या निजी कम्पनियों में बदल जाना। यह स्वामित्व का हस्तान्तरण पूरे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों अथवा उसके एक भाग के लिए हो सकता है।"

"In common parlance, privatisation, involves a change in the ownership of enterprises from the public or government to the private sector or individuals/private companies. The transfer of ownership can be for the entire PSU or for a part of it."

—A.N. Agrawal

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि निजीकरण में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं—

(1) स्वामित्व का हस्तान्तरण (Transfer of ownership)

(2) स्वामित्व के बिना नियन्त्रण का हस्तान्तरण (Transfer of control without the transfer of ownership)

(3) राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों में सरकारी निवेश को कम करना (To reduce investment of state in national economic activities)

(4) सरकारी उपक्रमों के कार्य में प्रबन्धन सम्बन्धी सुधार लाना (To introduce management reforms in the conduct of the government enterprises)।

निजीकरण के उद्देश्य
(OBJECTIVES OF PRIVATISATION)

विकसित एवं विकासशील देशों में निजीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

1. कार्य क्षमता में सुधार (Improvement in performance)
2. उत्पादन में वृद्धि (Increase in production)
3. क्षति से बचाव (To avoid losses)
4. राष्ट्रीय घाटे को कम करना (To reduce national debts)
5. फंड प्राप्त करना (To acquire funds)
6. सब्सिडी कम करना (To reduce the subsidi)

अतः निजीकरण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुधार द्वारा आर्थिक विकास करना है।

निजीकरण में समस्याएँ
(PROBLEMS IN PRIVATISATION)

निजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित समस्याएँ आ सकती हैं—

1. निजी क्षेत्रों में अक्षमता (Inefficiency in Private sectors)
2. वित्तीय समस्याएँ (Financial Problems)
3. मालिक व श्रमिकों के बीच अच्छे सम्बन्धों का अभाव (Lack of good relationship between owners and employers)
4. प्रतियोगी वातावरण का अभाव (Lack of competitive environment)।

निजीकरण एवं शिक्षा
(PRIVATISATION AND EDUCATION)

भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व है। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी योग्यताओं एवं कौशलों का विकास किया जा सके कि वह एक उत्तरदायी तथा सहयोगी नागरिक बन सकें। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं (विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों) की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई तथा शिक्षा में सुधार हेतु

अनेक आयोगों—विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग इत्यादि का गठन हुआ। नई शिक्षा नीति भी तैयार की गई, किन्तु स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है। अतः वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्था के कारण घटती हुई गुणवत्ता को देखते हुए यह विचार किया जाने लगा है कि शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। आज पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की निजी शिक्षा संस्थाओं के साथ-साथ अनेक निजी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय भी खोले जा रहे हैं। सरकार के द्वारा संस्थाओं को स्ववित्त पोषित (Self-financing) मान्यता देने की अवधारणा में निजीकरण को तेजी से पंख पसारने के अवसर प्रदान कर दिये हैं। चिकित्सा प्रौद्योगिकी प्रबन्धन तथा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्रों में निजी संस्थाओं की बाढ़-सी आ गई है।

शिक्षा में निजीकरण के लाभ तथा हानि दोनों ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं—

शिक्षा में निजीकरण के लाभ (ADVANTAGES OF PRIVATISATION IN EDUCATION)

शिक्षा में निजीकरण की प्रक्रिया के निम्नलिखित लाभ हैं—

1. शिक्षा में गुणात्मक सुधार (Qualitative Improvement in Education)—सरकार द्वारा संचालित व सम्पोषित शिक्षा संस्थाओं की दयनीय स्थिति गम्भीर चिन्ता का विषय बनी हुई है। आवश्यक बुनियादी सुविधाओं, जैसे आधुनिक कक्षा-कक्षों, समृद्ध पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान एवं सामग्री योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक आदि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण इनका शैक्षणिक स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। शिक्षक व छात्र दोनों ही राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं। शिक्षकों का रुझान ट्यूशन व कोचिंग की ओर बढ़ रहा है। विद्यालयों में कक्षाएँ नहीं के बराबर चलती है। परिणामस्वरूप उच्च स्तरीय डिग्रियाँ प्राप्त करने के बावजूद भी विद्यार्थी विषय सम्बन्धी जानकारी से शून्य है। इन परिस्थितियों ने शिक्षा के निजीकरण की माँग के लिए न केवल सजग किया है, वरन् निजीकरण के मार्ग को प्रशस्त भी किया है। कुछ निजी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही गुणवत्तापरक शिक्षा ने निजीकरण के सम्प्रत्यय को वैचारिक समर्थन प्रदान किया है।

2. वित्तीय समस्याओं का समाधान (Solutions of Finanacial Problems)—आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण देश में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक भवनों का अभाव है। अधिकांश विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि कक्षाओं में ब्लैक-बोर्ड जैसी मूलभूत सुविधा भी संतोषजनक नहीं है। जहाँ भवन हैं, वहाँ पुस्तकालय, प्रयोगशाला व शिक्षकों का अभाव है। प्राथमिक स्तर पर चौंकाने वाले तथ्य आज भी अस्तित्व में हैं। विद्यालयों में एक या दो शिक्षक हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर भी शिक्षकों का अभाव है। विद्यार्थी अनुपात भी अनुचित है। इन सब कारणों से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आजकल व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने पर अधिक बल दिया जा रहा है, लेकिन उनके लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। उदाहरणार्थ प्रदेश सरकार ने विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा आरम्भ करने की घोषणा कर दी है लेकिन समस्या यह है कि वहाँ न तो पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर हैं और न ही उसे सिखाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक। इतना ही नहीं कम्प्यूटर जैसे उपकरणों के प्रयोग एवं रखरखाव सम्बन्धी सुविधाओं का भी अभाव है। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए धन की आवश्यकता है। अतः वित्तीय समस्याओं के समाधान का एकमात्र विकल्प शिक्षा को निजी संस्थाओं के हाथों सुपुर्द करना ही है।

3. शिक्षकों की योग्यताओं का समुचित प्रयोग (Proper Use of Teacher's Abilities)—आज सरकारी शिक्षक अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन हो गया है। वह यह भूल गया है कि

राष्ट्र का भविष्य उसके हाथों में है। आज उसकी रुचि शिक्षण कार्य में नहीं वरन् वेतन में है। ऐसा नहीं है कि सरकारी शिक्षक में योग्यताओं एवं क्षमताओं का अभाव है, अभाव है तो कर्त्तव्यनिष्ठा का, प्रोत्साहन, उचित प्रशिक्षण एवं उपयुक्त वातावरण का। जिसके कारण उसकी क्षमताओं का उचित लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक एक बहुउद्देश्यीय कर्मचारी होता है जिस पर अध्ययन के अतिरिक्त विद्यालय के अन्य कार्यों के साथ चुनाव और जनगणना जैसे कार्यों का उत्तरदायित्व भी सौंप दिया जाता है। यदि शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए, तो उपयुक्त वातावरण मिलने पर शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं से लाभान्वित कराने में सक्षम हो सकेगा।

4. कार्य-संस्कृति का विकास (Development of Work Culture)—आज सरकारी संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों में कार्य करने की प्रवृत्ति प्रायः समाप्त-सी हो गई है। वर्ष में लगभग आधे दिन काम के और आधे दिन छुट्टियों के रहते हैं। आये दिन छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी हड़ताल करते रहते हैं। तोड़-फोड़, आगजनी और मारपीट की घटनाएँ प्रायः होती रहती हैं। शिक्षा पर दलगत राजनीति का व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है। पढ़ने-पढ़ाने का कोई वातावरण ही नहीं रहा। विचारकों का मत है कि इन समस्याओं का समाधान शिक्षा के निजीकरण से हो सकता है, उनमें कार्य संस्कृति का विकास किया जा सकता है क्योंकि इससे वही लोग सेवा में रह सकेंगे जिनमें अपने कार्य के प्रति लगाव होगा।

5. नियन्त्रण एवं प्रशासन की समस्या का समाधान (Solution of the Problem of Control and Administration)—आज अधिकांशतः शैक्षणिक समस्या नियन्त्रण एवं प्रशासन से सम्बन्धित है। संविधान में शिक्षा की ज़िम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। जिसके कारण नवीन संस्थाओं को खोलना, पाठ्यक्रम तैयार करना, उसमें संशोधन करना, पाठ्य-पुस्तकों का लेखन एवं बिक्री सभी कार्यों के लिए अनुमति सरकार से ही लेनी होती है। इसलिए प्रदेश सरकारें अपनी इच्छानुसार पाठ्य-पुस्तकों को स्थान देती हैं, उदाहरणार्थ NCERT द्वारा तैयार पाठ्यक्रम में राज्य सरकारें बीस प्रतिशत तक परिवर्तन कर सकती हैं। शिक्षा का स्थानीय समाज से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस संदर्भ में सेवानिवृत्त आई.ए.एस. **श्री जी. वी. गुप्त** का कथन उल्लेखनीय है—"स्कूल सरकारी समय-सारणी कारखाने की तर्ज पर, शिक्षक की कोई जिम्मेदारी नहीं, पाठ्यक्रम क्लर्कों की नौकरी के अनुरूप, स्थानीय समाज की कोई भागीदारी नहीं, शिक्षा का स्थानीय जीवन पद्धति से कोई सरोकार नहीं, जिन्हें आरक्षण या सिफारिश से नौकरी की आशा नहीं वे स्कूल कैसे और क्यों जाएँ।" उनका मानना है कि यदि शिक्षा स्थानीय जरूरतों के अनुसार, उपयुक्त समय पर स्थानीय भागीदारी व साधनों से समस्याओं से निपटने में सक्षम हो, तो तुरन्त प्रसार होगा। शिक्षकों का चयन, वेतनमान, योग्यता पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें, प्रवेश परीक्षा आदि सभी का केन्द्रीकरण समाप्त हो जाए तथा विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएँ सरकारी नियन्त्रण से पूर्ण रूप मुक्त हो जाएँ, तो शिक्षा उच्च कोटि की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत सुगम होगी और बेकार के विचारधारागत विवादों से मुक्त होगी।" अतः शिक्षा को उपयोगी एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए शिक्षा का निजीकरण किया जाना आवश्यक है।

6. बेरोजगारी दूर करना (To Eradicate Unemployment)—भारत में समय-समय पर गठित आयोगों द्वारा शिक्षा के व्यावसायीकरण का सुझाव दिया जा रहा है। व्यावसायीकरण से तात्पर्य शिक्षा को व्यावसायोन्मुखी शिक्षा के लिए तत्सम्बन्धी ज्ञान वाले योग्य अध्यापकों, यन्त्रों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों का सरकारी संस्थाओं में अभाव है। इसका एक उदाहरण सूचना प्रौद्योगिकी (IT) है। भारत में इसका सारा विकास निजी क्षेत्रों द्वारा ही हुआ है। अतः भारत जैसे देश के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा के निजीकरण द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे देश को समृद्धशाली बनाने में अपना योगदान दे सकें।

7. भ्रष्टाचार समाप्त करना (To Eradicate Corruption)—यदि हम शिक्षा के क्षेत्र को अवलोकन करें, तो स्पष्ट होता है कि यहाँ भी दिन-प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। छात्रों के प्रवेश से लेकर अध्यापकों की नियुक्ति तक एवं शिक्षा संस्थाओं के लिए आवश्यक उपकरणों एवं पुस्तकालय के लिए पुस्तकों को खरीदने का मामला हो, कहीं भी ईमानदारी नहीं दिखाई देती है। प्राथमिक विद्यालयों में दिये जाने वाले मध्याह्न भोजन (Mid-day-meal) के सम्बन्ध में हुई धांधली सर्वविदित है। यूनेस्को व विश्व बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा शिक्षा के लिए दिए गए धन का कितना प्रतिशत उपयोग होता है, यह सब जानते हैं। ऐसी परिस्थितियों से छुटकारा पाने का एक सही तरीका शिक्षा का निजीकरण ही हो सकता है।

8. विकसित देशों का उदाहरण (Examples of Developed Countries)—विश्व के विभिन्न देशों जैसे—अमेरिका, इंग्लैण्ड, जापान, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपीन्स इत्यादि ने शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की नीति को अपनाया है। अमेरिका का उदाहरण उनमें अग्रणी है। उदारवादी नीति के कारण आज अमेरिका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। यहाँ किसी विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली जाती है, विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय खोलने वाले की यह जिम्मेदारी है कि उसके पास पर्याप्त धन हो जिससे संस्था की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। विद्यार्थी को भी स्वयं ही देखना होता है कि उसे अपनी फीस का उचित प्रतिफल मिल रहा है या नहीं। इस प्रकार निजीकरण से शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्द्धा होती है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रहती है। यद्यपि भारत ने भी अमेरिकी देशों की तरह निजीकरण के मार्ग पर चलना तो प्रारम्भ कर दिया है लेकिन एक लम्बा मार्ग तय करना है।

शिक्षा में निजीकरण से हानियाँ
(LOSSES OF PRIVATISATION IN EDUCATION)

यद्यपि निजीकरण शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु विचारकों ने इसके विरोध में भी कुछ तर्क दिये हैं—

1. शिक्षा राज्य का दायित्व (Education in the Responsibility of State)—भारतीय संविधान में शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गयी है। राज्य सरकारों ने शिक्षा को अनुत्पादक मानकर उसका उत्तरदायित्व स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं पर छोड़ दिया है। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी से केन्द्र और राज्य सरकारें मुक्त हो गयीं। अब केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार का शिक्षा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दबाव नहीं रहा। अब स्थिति यह है कि असम, केरल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और नागालैण्ड को छोड़कर पूरे देश में प्रारम्भिक शिक्षा का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से स्थानीय प्रशासन पर और आंशिक रूप से राज्य प्रशासन पर है। ये दोनों अपने-अपने ढंग से शिक्षा का नियन्त्रण और प्रशासन अपने क्षेत्र में करते हैं परन्तु इन दोनों में तालमेल का अभाव पाया जाता है। स्थानीय संस्थाओं में भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की रुचि का अभाव है और शिक्षा पर अधिक व्यय करने की स्थिति भी नहीं है। इसके अतिरिक्त निजी व्यक्तियों, धार्मिक संस्थाओं, ट्रस्टों और पूंजीपतियों द्वारा भी शिक्षा संस्थाएँ चलाई जा रही हैं जिनका नियन्त्रण एवं प्रशासन पूर्ण रूप से स्वयं उन्हीं के द्वारा किया जाता है, जिनके द्वारा वे संचालित हैं। आज निजीकरण के कारण ऐसे शिक्षा माफियाओं के गिरोह का जन्म हो गया है जो आर्थिक लाभ के लिए शिक्षा के सभी मानकों, व्यवस्थाओं तथा परम्पराओं को तोड़ रहे हैं।

जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राज्य 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 21 के तहत प्राथमिक शिक्षा को ऐसा अधिकार बना दिया जिसे कानूनी रूप से लागू कराया जा सकता है। तीसरे एक नये अनुच्छेद 5.1 द्वारा अभिभावकों के लिए यह मौलिक कर्त्तव्य निर्धारित किया गया कि वे अपने छह से चौदह वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएँगे। 'स्कूल चलो अभियान' एवं 'सर्वशिक्षा अभियान' जैसे कार्यक्रम जोर-शोर से चलाये जा रहे हैं। अतः इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा विशिष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षा का निजीकरण उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

2. अधिक महँगी (Expensive)—निःसन्देह कुछ निजी विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय उच्च स्तर की गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं परन्तु शुल्क संरचना अत्यधिक महँगी होने के कारण उनका लाभ केवल अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित रह जाता है। जबकि सरकारी आँकड़ों के अनुसार भारत में 27 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है, उसके लिए इन शिक्षा सुविधाओं का लाभ संभव नहीं है।

3. शिक्षकों के शोषण की अधिक सम्भावना (Possibility of the Exploitation of Teachers)—शिक्षा के निजीकरण से अध्यापकों के शोषण की सम्भावनाएँ बढ़ गयी हैं। वर्तमान निजी संस्थाएँ इसका उदाहरण हैं। इनमें शिक्षकों से काम अधिक लिया जाता है और वेतन कम दिया जाता है। शिक्षकों की नियुक्ति अंशकालीन या तदर्थ आधार पर की जाती है। उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। कुछ समय पूर्व सरकार द्वारा इन निजी महाविद्यालयों को दिए जाने वाले अनुदान को कम किये जाने एवं 'ये संस्थाएँ अपने वित्तीय संसाधन स्वयं जुटाएँ' इस समाचार से इन महाविद्यालय के प्राध्यापकों में हड़कंप मच गया तथा उन्हें अपनी नौकरी संकट में दिखाई देने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण से इस प्रकार की अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनसे शिक्षा में गुणात्मक सुधार की अपेक्षा गिरावट की सम्भावना अधिक बढ़ जाएगी और शिक्षक अपने को असन्तुष्ट और असुरक्षित महसूस करेंगे।

4. अकुशल शिक्षकों की नियुक्ति (Appointment of Inefficient Teachers)—यदि निजी संस्थाएँ शिक्षकों के वेतन सुविधाओं एवं सेवा शर्तों में सुधार नहीं करेंगी, तो योग्य एवं कुशल शिक्षक आकर्षित नहीं होंगे। परिणामस्वरूप अकुशल अध्यापकों की नियुक्ति की सम्भावनाएँ अधिक बढ़ेंगी जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी।

निजीकरण से आज शिक्षा संस्थाएँ व्यावसायिक दुकानें बन गयी हैं जहाँ डिग्रियाँ बेचने और खरीदने का कार्य होता है। विद्यार्थियों से भी भिन्न-भिन्न तरीकों से पैसा कमाने का प्रयास रहता है। भूतपूर्व मानव संसाधन मंत्री श्री जोशी ने राज्यसभा में बताया था कि देश भर में निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ सी आ गयी है जबकि विश्वविद्यालय खोलने वालों को यह भी नहीं मालूम कि वे इन्हें कैसे चलाएँगे। जोशी महोदय ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर शिक्षा को वस्तु और विश्वविद्यालय को दुकान नहीं बनने देंगे। निजीकरण से शिक्षा संस्थाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है, और होगी, लेकिन ये संस्थाएँ निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य करेंगी यह निश्चित नहीं है। शिक्षा मंत्रालय यह समीक्षा कर रहा है कि पूरे देश में कितने निजी विश्वविद्यालय हैं और वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा को व्यावसायीकरण से बचाने के लिए जवाबदेही से भरपूर राष्ट्रीय नीति एवं सरकारी नियन्त्रण का होना आवश्यक है।

5. निजीकरण भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है (Privatisation is not Favourable for Indian Conditions)—विकसित राष्ट्रों के समान परोपकारी दृष्टिकोण से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा स्वार्थ-विहीन ढंग से संचालन के उदाहरण भारत में मुश्किल है। दूसरे यहाँ विभिन्न धर्मों,

जातियों, सम्प्रदायों एवं वर्गों के लोग रहते हैं। निजीकरण से वे अपने-अपने विद्यालय खोलकर अ
दृष्टिकोण के अनुरूप शिक्षा देंगे जो कि भारतीय संविधान के प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष आदर्श
प्रतिकूल होगा। वस्तुत: प्रजातंत्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार अपने नागरिकों को उच्च गुणवत्ता
शिक्षा देने के दायित्व से पीछे नहीं हट सकती। अत: भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रारम्भिक शिक्षा
तो निजी हाथों में सौंपना बिल्कुल उचित नहीं होगा। माध्यमिक व उच्च शिक्षा के आंशिक निजीकरण
विचार किया जा सकता है। भारत में शिक्षा का पूर्ण निजीकरण या शैक्षिक निजीकरण का अंधानुकरण
करना देश, समाज व शिक्षा जगत के सुनहरे भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

शिक्षा के निजीकरण के सम्बन्ध में कुछ सुझाव
(SOME SUGGESTIONS FOR PRIVATISATION OF EDUCATION)

शिक्षा के निजीकरण के सम्बन्ध में अलग-अलग मत हैं। ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है
भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियाँ शिक्षा के निजीकरण के अनुकूल नहीं
लेकिन वर्तमान समय में हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारी सरकारें शिक्षा के क्षेत्र में बढ़
बोझ को कम करने के उद्देश्य से अपने इस दायित्व को निजी संस्थाओं को हस्तांतरित करने का सफल
प्रयास कर रही हैं। अत: शिक्षा के निजीकरण का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने की दृष्टि से निम्नलिखित
सुझावों को रखा जाना चाहिए—

1. सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास करे तथा स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति को
इन निजी महाविद्यालयों में नियुक्ति किये जाने वाले शिक्षकों की योग्यता एवं उनको मिलने वाले वेत
की समय-समय पर जाँच करवायें।

2. अभिभावकों का आर्थिक शोषण न हो (गरीब छात्र-छात्राओं एवं अनुसूचित जातियों
जनजातियों के प्रवेश के लिए स्पष्ट तथा विशेष प्रावधान बनाए जाएँ।

3. निजी संस्थाओं को मान्यता देते समय प्रशासनिक योजना बनाई जाए जिसमें सरकार, शिक्षा
विभाग, समाज के प्रतिनिधियों एवं अध्यापकों का प्रतिनिधित्व हो। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा
जाए कि प्रबंध तंत्र की छवि समाज में सकारात्मक हो।

4. आजकल NACC द्वारा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाता है
जिससे इन संस्थाओं को आत्मावलोकन एवं आत्मसुधार का अवसर मिल जाता है। इसके मूल्यांकन के
अनुकूल परिणाम दिखाई दे रहे हैं। गुणात्मक सुधार की दृष्टि से इस प्रकार की जाँच की व्यवस्था शिक्षा
के सभी स्तरों पर की जानी चाहिए।

5. शिक्षा के सभी स्तरों पर प्राइवेट ट्यूशन एवं कोचिंग संस्थाओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना
चाहिए।

6. सरकार द्वारा शिक्षा पर किये जाने वाये व्यय को बढ़ाया जाना चाहिए तथा समाज के समृद्ध
वर्ग से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

7. अत: आवश्यकता इस बात की है कि शासन निजीकृत शिक्षण संस्थाओं की विकृतियों और
समस्याओं को समझे और उन्हें दूर करने के लिए यथोचित प्रयास करे जिससे शिक्षा का निजी क्षेत्र देश
के शैक्षिक विकास एवं गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर
सके।

निजी विश्वविद्यालय हेतु दिशा-निर्देश (GUIDELINES FOR PRIVATE UNIVERSITY)

उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं—

I. निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली प्रायोजिक संस्था (सोसायटी, ट्रस्ट, कम्पनी) के लिए यह आवश्यक है कि—

1. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या—021 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत हो, **अथवा**

2. भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 (केंद्रीय अधिनियम संख्या—2 सन् 1882) के अधीन पंजीकृत हो, **अथवा**

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय संख्या 11956) की धारा 25 के अधीन पंजीकृत हो।

II. प्रायोजक संस्था को निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय हेतु प्रस्ताव और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आवेदन पत्र को राज्य सरकार को निर्देशक, उच्च शिक्षा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के पक्ष में निर्धारित धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट के साथ देना होगा।

III. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में निम्नलिखित सामग्री होनी आवश्यक है—

1. प्रायोजक संस्था के पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र।

2. प्रायोजक संस्था के आय स्रोत एवं विगत पाँच वर्षों का सम्परीक्षित लेखा विवरण।

3. प्रस्तावित संस्था का नाम, स्थान मुख्यालय एवं उद्देश्य।

4. भूमि, भवन एवं उपलब्ध सुविधाओं का विवरण यदि पहले से ही विद्यमान हो।

5. पूर्व से ही उपलब्ध शैक्षिक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं शैक्षणिक सुविधाओं का विवरण।

6. विश्वविद्यालय परिसर के विकास, प्रस्तावित निर्माण कार्य एवं विकसित की जाने वाली अवस्थापना, सुविधाओं तथा आवश्यक उपकरणों आदि के क्रय की विस्तृत योजना एवं प्रथम पाँच वर्षों के क्रमबद्ध कार्यक्रम का वर्णन।

7. अग्रिम पाँच वर्षों में प्रस्तावित पूँजीगत व्यय तथा उसके वित्त पोषण के स्रोत।

8. विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक एवं शोध कार्यक्रमों का विवरण तथा प्रदेश के विकास एवं रोजगार की आवश्यकताओं के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता तथा पूर्व पाँच वर्षों में उन कार्यक्रमों का विवरण वर्षवार नामांकन के लक्ष्य सहित।

9. सम्बन्धित कार्य का अनुभव एवं निपुणता।

10. प्रस्तावित सुविधाएँ, पाठ्यचर्या एवं शोध जिनको शुरू किया जाना है।

11. अनुमानित व्यय, वित्त पोषण के स्रोत तथा प्रति छात्र अनुमानित व्यय।

12. साधन जुटाने, पूँजी लागत, साधनों की अदायगी, वित्त के आन्तरिक सृजन की योजना तथा विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस, परामर्शी सेवाओं एवं उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से सम्भावित आय तथा अन्य प्रत्याशित आय का विवरण।

13. प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था, निर्धन, विकलांग, अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए फीस में प्रस्तावित छूट एवं छात्रवृत्ति प्रक्रिया।

14. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं शोध विषयों में छात्र प्रवेश हेतु प्रस्तावित चयन प्रक्रिया।

15. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित पद्धति।

16. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्रों का विवरण।

17. महिलाओं किसानों या उद्योगों से सम्बन्धित विशिष्ट प्रस्तावित विशिष्ट कार्यक्रमों का विवरण।

18. खेल-कूद के लिए क्रीड़ा स्थल व अन्य सुविधाओं एवं कार्यक्रमों तथा एन.सी.सी. एन.एस.एस., स्काउट एवं गाइड आदि प्रशिक्षण गतिविधियों का विवरण।

19. परीक्षा के लिए प्रस्तावित व्यवस्था।

20. विश्वविद्यालय या संस्था की स्थापना की आवश्यकता का औचित्य तथा नियमों एवं मानकों का पालन करने की वचनबद्धता इत्यादि।

IV. विश्वविद्यालय/संस्था की स्थापना हेतु न्यूनतम मानक—

1. कम से कम दो करोड़ रुपये की धनराशि से स्थायी विन्यास विधि की स्थापना की जाय।

2. न्यूनतम पचास एकड़ की भूमि का स्वामित्व हो तथा चौबीस हजार वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन का निर्माण किया जाए जिसमें कम से कम 50% शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए हो।

3. कार्यालय और प्रयोगशालाओं में लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर, अन्य चल व अचल सम्पत्ति तथा सुविधायें उपलब्ध करायी जाएँ तथा प्रथम पाँच वर्षों में चार करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर, चल-अचल सम्पत्ति सुविधाएँ स्थापित किये जाने की वचनबद्धता।

4. प्रत्येक विभाग में कम-से-कम एक प्रोफेसर, दो रीडर, आवश्यकतानुसार लेक्चरार तथा अन्य सहायक स्टाफ को नियुक्त करने की वचनबद्धता।

5. पुस्तकालय हेतु कम से कम दस लाख रुपये की पुस्तकें व पत्रिकाओं को क्रय किया जाए तथा प्रथम तीन वर्ष में पुस्तकों, पत्रिकाओं, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, नेटवर्किंग तथा अन्य पुस्तकालय सुविधाओं हेतु न्यूनतम पचास लाख रुपये की धनराशि नियोजित करने की वचनबद्धता।

6. विद्यार्थियों के लिए पाठ्य-सहगामी क्रियाओं, वाद-विवाद प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम तथा अतिरिक्त पाठ्य-सहगामी क्रियाओं (खेल-कूद, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि) को विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार व्यवस्थित करने की वचनबद्धता।

7. यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. अथवा केन्द्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य संवैधानिक संस्था द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों की पूर्ति करनी होगी।

8. कर्मचारियों के लिए प्राविडेन्ट फन्ड की स्थापना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने की वचनबद्धता इत्यादि।

अतः यह उम्मीद की जा सकती है कि इन नियमों एवं मानकों का कठोरता से पालन किये जाने पर प्रदेश में खुलने वाली निजी संस्थाओं के स्तर तथा शैक्षिक गुणवत्ता को बनाये रखने व उसमें सुधार करने में सफलता मिल सकेगी।